

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 300]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मई 2021 — ज्येष्ठ 1, शक 1943

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 मई 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-9/2012/38-2. — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्र. 13 सन् 2005) की धारा 9 की उप-धारा (1) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्र. एफ 3-9/2012/38-2 दिनांक 22-5-2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, -

1. शब्द, अंक तथा चिन्ह “धारा 9 की उप-धारा (1)” के स्थान पर, शब्द, अंक तथा चिन्ह “धारा 9 की उप-धारा (1) के परन्तुक” प्रतिस्थापित किया जाये.
2. सरल क्रमांक 1 में, शब्द “एलाइड साइंस” के स्थान पर, शब्द “हेल्थ एण्ड एलाइड साइंस” प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 22 मई 2021

क्रमांक एफ 3-9/2012/38-2. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-5-2021 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, सचिव.

Atal Nagar, the 22nd May 2021

NOTIFICATION

No. F 3-9/2012/38-2. — In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of Section 9 of the Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005), the State Government, hereby, makes the following amendment in Notification No. F 3-9/2012/38-2, dated 22-05-2019, namely :-

AMENDMENT

In the said notification,-

1. For the words, figures, and symbol “sub-section (1) of Section 9”, the words, figures, and symbol “proviso to sub-section (1) of Section 9” shall be substituted.
2. In serial number 1, for the words “Allied Science”, the words “Health and Allied Science” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DHANANJAY DEWANGAN, Secretary.